...की ...सं० ...तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 36/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भू–दाता जीत नरायण राम, पिता–श्रीधारी भगत, ग्राम–खनगाह, थाना+जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
103	—	01 कठा	उत्तर–जमई भगत दक्षिण–देवलाल सिंह पूरब–नीज पश्चिम–रामेश्वर सिंह

मौजा–महुअरी नुरूल्लाह, थाना–अरवल, थाना संख्या–25, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से भूदाता को नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। कब्जाधारी का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। भूदाता की ओर से रामा प्रसाद, पिता–जीत नरायण भगत न्यायालय में उपस्थित हुए। वर्तमान कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित नही हुए ना ही इनके द्वारा कोई आपति दर्ज की गई है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 10.02.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि का खतियान उपलब्ध नही है। खतियानी रैयत से भूदाता का संबंध स्पष्ट नही है। रामवली यादव, पिता–राम दहीन सिंह के नाम पर जमाबंदी संख्या–191/6, 2/1 चल रहा है। जमाबंदीधारक एवं भूदाता का कोई संबंध नही है। वर्णित भूमि पर रामवली यादव, पिता–स्व० रामदहीन सिंह दखल कब्जा में है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता निर्मित है। भूदाता के तरफ से उपस्थित रामा प्रसाद, पिता–जीत नरायण भगत ने कहा है कि भूदान दान पत्र के संबंध में मुझे कोई जानकारी नही है।

भू–दाता के तरफ से दान पत्र मे माध्यम से दिनांक 10.02.1954 को वर्णित भूमि दान में दिया गया है जिसका जमाबंदी रामवली यादव, पिता–स्व० रामदहीन सिंह के नाम पर जमाबंदी संख्या–191/6, 2/1 दर्ज है। वर्तमान में जमाबंदीधारक वर्णित भूमि पर दखल कब्जा में हैं जिसपर जमाबंदीधारक का मकान एवं हाता निर्मित है। अतः अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कब्जाधारी/खतियानी रैयत एवं भूदाता का संबंध स्पष्ट नही है तथा वर्णित भूमि पर मकान एवं हाता की भूमि को संपुष्ट करना उचित प्रतीत नही होता है। भूदान यज्ञ दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्ट की जाती है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता

अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

अरवल।